मानव संचेतना
केन्द्र डोंगरगाव
की नियमावली

— १ —

मानव संचेतना केंद्र

डोंगरगांव

जिला राजनांदगांव (म. प्र.) पं क्र. १७७५८/८७

व्दारा संचालित

चैतन्य विद्यापीठ डोंगरगांव

(२ अगस्त १९८६ से संचालित)

चैतन्य विद्यापीठ गैंदाटोला

(सितम्बर १९८८ से संचालित)

केन्द्र के मुख्य उद्देश्य

(१) मानव की चेतना को जागृत करने की दिशा में कार्य करना।

(२) सम्यक शिक्षा हेतु विद्यापीठों की स्थापना एवं संचालन।

(३) सर्वधर्म समभाव विकासक सभा एवं साधना सत्र का आयोजन करना।

(४) छात्रावास वाचनालय ग्रंथालय आदि का संचालम।

(५) मानव का प्रथम गुरु मां है। अतः नारी के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना।

संचालक
मंगलदास मंगलम

अध्यक्ष
गौतमचंद जैन

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

मनुष्य अनंत शक्तियों का मालिक हैं। लेकिन अपनी शक्ति का सद-उपयोग वह सुसंस्कार और सम्यक शिक्षा के बिना नहीं कर सकता। सस्कार जन्म पूर्व मिलता है और शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलती है।

जन्म से लेकर १५-२० वर्ष की आयु तक सुनियोजित शिक्षा यदि मनुष्य को प्राप्त हो, तो मानव-जीवन सुगंध, शांति और आनंद से भर जाता है। शांत और आनंदित मनुष्य ही दूसरों को शांति और आनंद दे सकता है।

आज जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की नासमझी, धर्म का आडम्बर, समाज की कुरीतियाँ और राजनैतिक गिरावट से मुक्त समाज की रचना के लिए हमें देश के भावी नागरिक 'बच्चों' को सम्यक शिक्षा प्रदान करना पड़ेगा। तभी हमारा और उनका जीवन सफल होगा।

आपके सुंदर-सुखद और गरिमामय भविष्य का आधार कौन हैं बच्चे ही हैं। हमारी नीरस जिन्दगी में प्रेमरस और माधुर्य कौन बरसाता है? बच्चे! सुंदर-सभ्य समाज की रचना का शुभारंभ कहां से होगा? बच्चों से! देश की शक्ति का केन्द्र देश की आन बान शान कौन है? बच्चे ही हैं।

अतः फूल से अधिक सुंदर और कोमल इन बच्चों के निर्माण के लिए हमने एक शुभ सनम्र प्रयास किया है जिसका नाम हैं - चैतन्य विद्यापीठ !

इस विद्यापीठ में ३॥ और ४॥ वर्ष के बच्चों को प्रवेश मिलता है।

बच्चों को प्रारम्भ से ही संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है साथ ही माता-पिता, गुरु, समाज और देश के प्रति कर्तव्य पालन की शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाती है। इस चैतन्य विद्यापीठ को आपका प्यार चाहिए।

मानव संचेतना केन्द्र स्वयं सेवी संस्था है। इसे आप का सर्वांगीण सहयोग चाहिए। हमें विश्वास है - समाज के जागरुक और समर्थ सज्जन इस सेवा यज्ञ में सप्रेम भाग लेंगे और इसके सर्वतोमुखी विकास में सहभागी होंगें। इस सनम्र निवेदन के साथ

आपका ही

मानव संचेतना केन्द्र।

www.madhyasth-darshan.info/information-data

चैतन्य विद्यापीठ डोंगरगांव और गैंदाटोला के लिए भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो रहा है।

आप इस प्रकार सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

[१] चैतन्य विद्यापीठों के नाम के साथ विशेष दानदाता का नाम जोड़ा जा सकता है। इस तरह आप अपने या प्रियजनो के नाम से शाला का नाम रखवा सकते हैं। दान की न्यूनतम राशि २१०००) रू.।

(२) आप अपने या माता पिता या प्रियजनों के नाम से ११०००)रू. देकर कमरा बनवा सकते हैं कमरे में आपके नाम की संगमरमर पट्टी लगायी जाएगी।

(३) १०००) रू. से अधिक दान देनें वालों का नाम दीवाल बोर्ड पर स्थायी रूप से आंकित किया जाएगा।

(४) आप संस्था के सदस्य बनकर सर्वागीण सहयोग दे सकते हैं।

(५) आप संस्था या विद्यापीठ को अवश्यक सुविधा या सामग्री प्रदान कर सकते है। जैसे :- कुंआ या बोरिंग, पानी टंकी मुख्यद्वार खेल साधन रिक्शा स्पीकर आलमारी पंखे बर्तन दरीया फर्नीचर आदि।

(६) छात्रावास वाचनालय ग्रंथालय का नामकरण एवं शिवरों का आयोजन अपने प्रियजनों के नाम से आप करवा सकते है।

विनीत

कोषाध्यक्ष	सचिव	उपाध्यक्ष
जेठमल बोहरा	**रानीदानश्रीश्रीमाल**	**श्रीमती एस अय्यर**

मुख्य सलाहकार	सम्मानित सदस्य
एस. एस. हिरवानी	**श्रीमान सम्पत लाल जैन**

कार्यकारिणी सदस्य :-

सर्वश्री पूनाराम साहू (कोकपुर) श्री नारायण जी गांधी

श्रीमती कमला शुक्ला, रानु लाल कोचर

श्री गुलाब चंद बोहरा, श्री शंकर लाल टावरी, वृंदावन सोनी

श्रीमती भवन्तीन साहू, ललित कुमार, अशोक कुमार शाह

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सदस्य श्री मानिक गांधी, श्री प्रकाश चंद सोनी ।

विशेष सहयोगी श्री राधे श्याम जी गुप्ता

चैतन्य विद्यापीठ गैंदाटोला के पदाधिकारी ।

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव
रामप्रकाश सोनी	**जमील अहमद कुरैशी**	**मो. इस्लाम भाई**

कोषाध्यक्ष

हीरालाल अग्रवाल

एवं सदस्यगण

सर्वश्री डॉ. बी. पी. शर्मा, मदनलाल पटेल, दयादास मानिकपुरी, हरिश्चंद्र टावरी, हरिप्रसाद देवांगन, रामखिलावन साहू

---

* ज्ञान गुरू मन चेला है ।
* प्रत्येक मनुष्य एक बर्बाद परमात्मा है
* मनुष्य अपने सद्‌गुणों से पूज्य बनता है ।

जाति, कुल या भौतिक धन से नहीं ।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

-:: नि य मा व ली ::-

1. संस्था का नाम - "मानव संचेतना केन्द्र"

2. संस्था का कार्यालय - मानव मंदिर
   मेन रोड, डोंगरगांव
   मु0पो0-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (म0प्र0)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण मध्य-प्रदेश

4. संस्था का उद्देश्य -

   1. मानव वर्तमान अवस्था से दिव्यमान तक की यात्रा पूर्ण करे, जिससे भूमि ही स्वर्ग हो जाए, मनुष्य ही देवता हो जाए, धर्म सफल हो और नित्य मंगल हो । इस भावना, विचार और संकल्प से "मानव की संचेतना" को जागृत करने कि दिशा में कार्य करना है ।

   2. मानव के चरित्र को श्रेष्ठ, विश्वास और राष्ट्र को अखंड बनाने एवं बनाये रखने में समर्थ - "सम्यक शिक्षा" देने हेतु विद्यापीठों की स्थापना एवं संचालन करना है ।

   3. सर्वधर्म सम-भाव विकासक सतसंग-प्रवचन, साधना-सत्र आदि का आयोजन करना है ।

   4. वाचनालय, ग्रंथालय, चिकित्सालय, छात्रावास का संचालन करना है ।

   5. मानव समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास करना है ।

   6. नारी के संवार्गीण विकास हेतु विशेष प्रयास करना है ।

5- <u>सदस्यता</u>:- समिति के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) <u>संरक्षक सदस्य</u>:- समिति में दो प्रकार के संरक्षक सदस्य होंगे -

प्रथम:- समिति प्रथम संरक्षक सदस्य धर्मगुरूओं, साधु-संतो, धर्मप्रचारकों को बनायेंगी, जो समिति के उद्देश्यों की पूर्णता के लिये सर्वांगीण सहयोग देंगे ।

द्वितीय:- समिति के द्वितीय संरक्षक सदस्य वे होंगे जो समिति के उद्देश्यों की पूर्णता हेतु एक बार में 5001/- (पाँच हजार एक रूपये) देंगे एवं आगे भी सक्रिय सहयोग देते रहेंगे ।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

लगातार 2 पर:-

(19.5) मानव संचेतना केंद्र - डोंगरगड_c

(ब) <u>आजीवन सदस्य</u> :- जो व्यक्ति समिति को एक साथ 1101/- (ग्यारह सौ एक रूपये) देगा एवं प्रबंधकारिणी जिसे उचित समझे वह आजीवन सदस्य होगा ।

(स) <u>कर्मठ सदस्य</u> :- जो व्यक्ति समिति को एक साथ 405/- (चार सौ पाँच रूपये) देंगे एवं प्रबंधकारिणी जिसे उचित समझे वे कर्मठ सदस्य होंगे ।

यह सदस्यता त्रिवर्षीय होगी । आगे की सदस्यता हेतु पुनः 405/- रूपये देना एवं समिति की सम्मति आवश्यक है ।

(द) साधारण सदस्य:- जो व्यक्ति समिति को प्रतिवर्ष 150/- (एक सौ पचास रूपये) सदस्यता राशि देगा एवं प्रबंधकारिणी जिसे उचित समझे वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य प्रबंधकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी के लिये योग्य उम्मीदवार तभी होगा जब वह लगातार तीन वर्ष तक समिति का सदस्य हो ।

(क) सम्माननीय सदस्य:- संस्था की प्रबंधकारिणी समिति किसी विद्वान, कलाकार या विशेष गुण संपन्न व्यक्ति को जो संस्था के सक्रिय सहयोग अपनी विशिष्टता के कारण देगा, सम्माननीय सदस्य बनायेगी ।

(ख) विशेष सदस्य:- जो व्यक्ति संस्था का शुभ चिन्तक एवं सक्रिय सहयोगी होगा, और संस्था को प्रतिवर्ष 101/- (एक सौ एक रूपये) देगा, वह विशेष सदस्य होगा ।

6- <u>सदस्यता की प्राप्ति</u> :- प्रत्येक व्यक्ति को, जो संस्था का आजीवन, कर्मठ या साधारण सदस्य बनना चाहता है, उसे प्रबंधकारिणी द्वारा जारी सदस्यता आवेदन-पत्र भर कर प्रबंधकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । प्रबंधकारिणी आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है ।

7- <u>सदस्यों की योग्यता</u>:- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

(अ) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(ब) भारतीय नागरिक हो ।
(स) संस्था के नियमों को पालन करने की प्रतिज्ञा किया हो ।
(द) प्राथीं दिवालिया एवं समाज व कानून की दृष्टि से अपराधी न हो, सजायाफ्ता व पागल न हो ।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

लगातार 3 पर:-

8- <u>सदस्यता की समाप्ति</u> :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगा :-

§अ§ मृत्यु हो जाने पर.।

§ब§ पागल हो जाने पर.।

§स§ संस्था को देय सदस्यता शुल्क "नियम-5" में बताये अनुसार जमा न करने पर.।

§द§ प्रबंधकारिणी जब यह देखे कि कोई सदस्य संस्था के उद्देश्य, सम्मान एवं गति के लिए अहितकारी है, तो समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर सदस्यता समाप्त हो जावेगी । समिति के निर्णय की सूचना लिखित रूप से सदस्य को देना होगा ।

§इ§ त्याग पत्र देने और वह स्वीकार होने पर ।

9- <u>मतदान का अधिकार</u> :- प्रबंधकारिणी का गठन, आम सभा में निर्णय आदि के लिए मतदान का अधिकार निम्नलिखित सदस्यों को होगा :

§अ§ आजीवन सदस्य.

§ब§ कर्मठ सदस्य.

§स§ साधारण सदस्य.

§द§ व्दितीय संरक्षक सदस्य.और.

§इ§ उक्त सभी सदस्य लगातार तीन वर्ष से संस्था के सदस्य हो तब मतदान का अधिकार पायेंगे ।

10- प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी या सदस्य वे ही बन पायेंगे, जिन्हें मतदान का अधिकार होगा ।

11- संस्था कार्यालय में सदस्यता पंजी रखी जावेगी, जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जायेंगे :

§अ§ प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय.

§ब§ वह तारीख जिससे सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर.

§स§ वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

12- <u>सभायें</u> : §अ§ <u>आम सभा</u> :- आम सभा में नियम 5 में दर्शाये सभी सदस्य समावेशित रहेंगे । आम सभा की बैठक आवश्यकतानुसार होगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा स्थान व समय प्रबंधकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को देगी । बैठक का कोरम 1/5

लगातार 4 पर :-

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा । यदि संबंधित व्दारा आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में करावें एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

§ब§ <u>प्रबंधकारिणी सभा</u> : प्रबंधकारिणी की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में दो बार अनिवार्य है । बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक के दिनांक से सात दिन पूर्व प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक है । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी ।

§स§ <u>विशेष सभा</u> :- यह सभा कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों व्दारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु अध्यक्ष से आवेदन करें तो अनिवार्य रूप से विशेष सभा आवेदन में दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए आम सभा बुलाई जायेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

13- <u>आमसभा के अधिकार व कर्तव्य</u> :

§अ§ संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।

§ब§ संस्था की कमाई व सम्पत्ति का ठीक प्रबंध करना ।

§स§ लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना ।

§द§ अन्य ऐसे विषय पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी व्दारा प्रस्तुत हो ।

लगातार 5 पर :-

(इ) संस्था व्दारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।

(प) बजट का अनुमोदन करना ।

(फ) प्रबंधकारिणी के लिए सदस्यों का चयन करना ।

14- <u>प्रबंधकारिणी का गठन</u> :

:1: आम सभा में मतदान के अधिकारी सदस्यों व्दारा प्रबंधकारिणी समिति के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा ।

:2: प्रबंधकारिणी के लिए चुने गये सदस्य प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों को चुनेंगे ।

:3: प्रबंधकारिणी में एक तिहाई सदस्य साधारण सदस्यों से तथा दो तिहाई सदस्य आजीवन सदस्यों, कर्मठ सदस्यों तथा व्दितीय संरक्षकों से चुने जायेंगे ।

:4: व्दितीय संरक्षकों से एक ही सदस्य का चयन प्रबंध-कारिणी के लिए किया जाएगा । यह सदस्य प्रबंध--कारिणी के पदों के लिए उम्मीदवार नहीं बनेगा ।

:5: प्रबंधकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं शेष सदस्य होंगे ।

(अ) अध्यक्ष (ब) उपाध्यक्ष.
(स) सचिव. (द) सह सचिव.
(इ) कोषाध्यक्ष एवं सदस्य ।

:6: प्रबंधकारिणी में पदाधिकारियों सहित न्यूनतम सदस्य संख्या 12 बारह और अधिकतम् 18 अठारह होगी ।

15- <u>प्रबंधकारिणी का कार्यकाल</u> : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । परन्तु आम सभा की अनुमति यथेष्ट कारण होने पर कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।

16- <u>प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था एवं समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना और इस सबके पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णत: परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष आम सभा की बैठक में रखना ।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

लगातार 6 पर :-

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्म-चारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था के चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) मुख्य संस्था तथा अधीनस्थ संस्थाओं के लिए आवश्यक कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, संचालक आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) आमसभा व्दारा सौंपे गये अन्य सब कार्य को करना ।

(प) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति प्रबंधकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

(फ) संस्था व्दारा कोई भी अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय नहीं की जायेगी ।

(म) मुख्य संस्था के अधीनस्थ संस्थाओं के लिए संस्था के सदस्यों का उप समिति एवं उसके लिए सामान्य नियम बनायेगी ।

(क) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार आमसभा के कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त पारित प्रस्ताव को पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ म0प्र0 को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

17- <u>अध्यक्ष के अधिकार</u> :- अध्यक्ष आमसभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव व्दारा सभी बैठकों का आयोजन करवायेगा ।

संस्था व्दारा संचालित व आयोजित किसी भी कार्य विशेष की सुव्यवस्था हेतु किसी भी एक या अधिक सदस्यों को मनोनीत कर सकेगा ।

अध्यक्ष मुख्य संस्था व्दारा संचालित संस्थाओं के उप समितियों का भी पदेन अध्यक्ष होगा ।

अध्यक्ष शासकीय कार्यों, कोर्ट आदि जगह संस्था का प्रतिनिधित्व करेगा । अध्यक्ष प्रतिनिधित्व हेतु किसी सदस्य को लिखित में मनोनीत कर सकेगा ।

18- <u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u> :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

लगातार 7 पर :-

19- सचिव के अधिकार :-

(अ) अध्यक्ष के आदेशानुसार आमसभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर आमंत्रित करना और बैठक में एजेन्डा से संबंधित समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना ।

(ब) समिति के आय-व्यय का लेखा परीक्षक से परीक्षण करा के प्रतिवेदन तैयार करके आमसभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उप समितियों के सारे कागजातों को तैयार करना एवं करवाना, उनका निरीक्षण करना व अनियमित पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(द) सचिव को किसी आकस्मिक कार्य के लिए एक समय में 200/- दो सौ रूपये तक खर्च करने का अधिकार है । अध्यक्ष की लिखित अनुमति से 500/- पाँच सौ रूपये तक खर्च कर सकेगा । अधिक व्यय हेतु प्रबंधका--रिणी से अनुमोदन लेना होगा ।

20- सहसचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के सम्पूर्ण अधिकारों का उपयोग करेगा । शेष समय सचिव को सहयोग प्रदान करेगा ।

21- कोषाध्यक्ष के अधिकार व कार्य :- संस्था की समस्त राशि अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी । धन आहरण सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । दैनिक या आकस्मिक खर्च हेतु कोषाध्यक्ष के पास 250/- दो सौ पचास रूपये रहेंगे ।

कोषाध्यक्ष आय-व्यय पंजी में समस्त लेखा रखेगा ।

22- वर्ष : संस्था का वर्ष एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक होगा ।

23- त्यागपत्र : संस्था का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी, कर्मचारी अध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे । अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा ।

24- पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत संस्था को वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रबंधकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था के परीक्षित पत्रक भेजेगी ।

www.madhyasth-darshan.info Information Portal

लगातार 8 पर :-

25- संशोधन : संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों में पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य रहेगा ।

26- विघटन : संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधि--नियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

27- संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुशंसा के बिना विक्रय व्दारा दान व्दारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी ।

28- पंजीयक व्दारा बैठक बुलाना : संस्था की पंजीकृत नियमावली के पदाधिकारियों व्दारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निर्धारित कर सकेगा ।

29- विवाद :- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के बहुमत से विवाद को सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । संचालित संस्थाओं के विवाद प्रबंधकारिणी समिति के विवादों का अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।